

13/3/15

पत्रावली पत्र हुई / पीठासीन अधिकारी
शुभराजस्य कार्य में व्यापक होने से
/ अतः पत्रावली
दिनांक 10/4/15 को पेश हो।

घाजा के

10/4/15

बकुलाय पक्षकारान सपस्थित / पीठासीन
अधिकारी जनसुनवाई में होने से
प्रकरण दि. 15/5/15 को पेश हो

15/6/15

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने पत्रावली को
लोक अदालत में स्फुर करने के लिये
आवेदन किया। विपक्षी पक्षकार को नोटिस
जारी होकर दिनांक 20/6/15 को पेश हो।

20/6/15

पत्रावली शायद शुभराजस्य लोक अदालत /
बैंक कोर्ट अभियान में माण्डवा पर पेश
हुई। प्रकरण से सम्बन्धित भूलवादा का
निस्तारण हो चुका है। अतः इस प्रकरण में
कोर्ट कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रकरण
की कार्यवाही इसी स्तर पर द्रोप की जाती है।
पत्रावली निर्णित हेतु सेव्या से का है।

निर्णय शुनाया गया।

सदस्य
लोक अदालत, कोटड़ा

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ा (जिला उदयपुर)